भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
17.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2939 का उत्तर

रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई संबंधी मानक

2939. श्री राहुल कस्वां:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्धारित 760-840 मिमी मानक से नीचे, रेल स्तर पर/के नजदीक स्थित रेलवे प्लेटफॉर्म का स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के निर्धारित ऊंचाई मानकों का पालन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की असुरक्षित दूरी के कारण हुई यात्रियों की दुर्घटनाओं और मृत्यु के संबंध में कोई यात्री सुरक्षा संपरीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चुरू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षित चढ़ाई और उतराई सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई को निर्धारित मानक तक बढ़ाने की वर्तमान स्थिति और अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के श्री रामगढ़ स्टेशन पर प्लेटफार्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, पेयजल सुविधा, बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्लेटफार्म के विस्तार और ऊंचाई बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

भारतीय रेल के अधिकांश प्लेटफार्म ऊंचे प्लेटफार्म हैं। हालांकि, यात्रियों की सुविधा और संरक्षा में सुधार लाने के लिए, रेल मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से बड़ी लाइनों के सभी स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

भारतीय रेल पर प्लेटफार्मों को ऊंचा प्लेटफार्म करने सहित स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार कार्य शुरू किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्यों को स्वीकृति देने और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों में सुधार करने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। इस मास्टर योजना में निम्नानुसार शामिल हैं -

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार,
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण,
- स्टेशन भवन में सुधार,
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पानी के बूथ में सुधार,
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान

- **लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान**
- **प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर में सुधार/प्रावधान**
- **'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान,**
- **पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण,**
- **दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं,**
- **बेहतर यात्री सूचना प्रणाली,**
- **प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान शामिल हैं।**

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें राजस्थान में स्थित चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 85 स्टेशन, जिनमें चूरू, गोगामेड़ी, रतनगढ़ जंक्शन, सादुलपुर और सुजानगढ़ स्टेशन हैं। राजस्थान में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिन्हित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
राजस्थान	85	आबू रोड, अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, असलपुर जोबनेर, बालोतरा, बांदीकुई, बारां, बाड़मेर, बयाना, ब्यावर, भरतपुर, भवानी मंडी,

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
		भीलवाड़ा, बिजयनगर, बीकानेर, बूंदी, चंदेरिया, छबड़ा गुगोर, चित्तौड़गढ़ जंक्शन, चूरू, डाकनिया तलाव, दौसा, डीग, देगाना, देशनोक, धौलपुर, डीडवाना, डूंगरपुर, फालना, फतेहनगर, फतेहपुर शेखावटी, गांधीनगर जयपुर, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोटन, गोविंदगढ़, हनुमानगढ़, हिंडौन सिटी, जयपुर जं, जैसलमेर, जालौर, जवाई बांध, झालावाड़ सिटी, झुंझुनू, जोधपुर, कपासन, खैरथल, खेरली, कोटा जं, लालगढ़ जं, मंडल गढ़, मंडावर महवा रोड, मारवाड़ भीनमाल, मारवाड़ जंक्शन, मावली जंक्शन, मेड़ता रोड जं, नागौर, नरैना, नीम का थाना, नोखा, पाली मारवाड़, फलौदी जं, फुलेरा जं, पिंडवाड़ा, रायसिंह नगर, राजगढ़, रामदेवरा, रामगंजमंडी जंक्शन, राणा प्रतापनगर, रानी, रतनगढ़ जं, रेन, रींगस, सादुलपुर, सांगानेर, सवाई माधोपुर, श्री महावीरजी, सीकर, सोजत रोड, सोमेसर, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, उदयपुर सिटी

राजस्थान में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। अब तक इस योजना के तहत राजस्थान के 11 स्टेशनों (बाड़मेर, बूंदी, देशनोक, फतेहपुर शेखावाटी, गोगमेड़ी, गोविंद गढ़, जैसलमेर, खैरथल, माण्डल गढ़, मण्डावर महुवा रोड, राजगढ़) का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तेजी से चल रहे हैं और इनमें से कुछ स्टेशनों की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

- चूरू स्टेशन: स्टेशन भवन का निर्माण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार,

प्रतीक्षालय, शौचालय, आवागमन क्षेत्र, पार्किंग, दिव्यांगजन सुविधाएँ और 12 मीटर का पैदल पार पुल के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

- रतनगढ़ जंक्शन स्टेशन: स्टेशन भवन का निर्माण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवागमन क्षेत्र, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांगजन सुविधाएँ और 12 मीटर का पैदल पार पुल के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

- सादुलपुर स्टेशन : स्टेशन भवन का निर्माण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवागमन क्षेत्र, पार्किंग और 12 मीटर का पैदल पार पुल के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

- सुजान गढ़ स्टेशन: स्टेशन भवन का निर्माण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवागमन क्षेत्र, पार्किंग, दिव्यांगजन सुविधाएँ और 12 मीटर का पैदल पार पुल के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

- बीकानेर स्टेशन : दूरसंचार भाग को छोड़कर एमएफसी भवन के नवीनीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन के उत्तरी भाग की नींव का कार्य शुरू हो गया है।

- गांधीनगर जयपुर स्टेशन: स्टेशन भवन के मुख्य और द्वितीय प्रवेश संरचनात्मक कार्य, एयर कॉनकोर्स के निर्माण और डेक स्लैब की ढलाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्टेशन भवन के मुख्य और द्वितीय प्रवेश द्वार का फिनिशिंग कार्य, प्लेटफार्म शेल्टर का कार्य और प्लेटफार्म की मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है।

- जयपुर जंक्शन स्टेशन: स्टेशन भवन के दूसरे प्रवेश द्वार और बेसमेंट का संरचनात्मक

कार्य, एयर कॉनकोर्स का नींव का कार्य तथा दौसा छोर पर प्लेटफ़ॉर्म संख्या 1 से प्लेटफ़ॉर्म संख्या 4 और 5 तक पैदल पार पुल का लॉचिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं। स्टेशन भवन के अग्रभाग और बेसमेंट का कार्य, स्टेशन भवन के द्वितीय प्रवेश द्वार और बेसमेंट का फिनिशिंग कार्य, एयर कॉनकोर्स और तथा सीकर छोर पर पैदल पार पुल का लॉचिंग कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं।

- उदयपुर सिटी स्टेशन: बेसमेंट सहित स्टेशन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से का संरचनात्मक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बेसमेंट सहित स्टेशन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से का फिनिशिंग कार्य शुरू किया गया है।

स्टेशनों के विकास और रखरखाव के लिए किए गए व्यय का विवरण योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत ज़ोनल रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार। राजस्थान पांच ज़ोनों अर्थात उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन ज़ोनों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 5,257 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसमें 2,829 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए फायर क्लीयरेंस, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केवल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री आवागमन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी

प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस चरण पर कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

सुरक्षा:

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'कानून व्यवस्था', राज्यों के विषय हैं और तदनुसार, भारतीय रेल पर असामान्य मौतों के मामले संबंधित पुलिस प्राधिकारियों जैसे कि राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) अथवा जिला पुलिस, द्वारा दर्ज किए जाते हैं और इनका अन्वेषण किया जाता है, जो अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर कार्रवाई करते हैं। रेलपथों पर हुई सभी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु के आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा 'भारत में दुर्घटनाओं में हुए हताहत और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) में प्रकाशित किए जाते हैं।

रेलवे द्वारा रेलपथ पर अप्रिय घटनाओं में मानव मौतों को रोकने/न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- **क्षेत्रीय रेलों ने संरक्षा, सुरक्षा, सिगनल और अभियांत्रिकी विभागों के अधिकारियों को शामिल करके 'संयुक्त समितियां' गठित की हैं ताकि दुर्घटनाओं के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा सके और मानवों द्वारा अनधिकृत रूप से पटरियां पार करने से होने वाली अप्रिय घटनाओं के कारण मौतों को कम करने के लिए विशेष उपाय सुझाए जा सकें। तदनुसार, हताहतों की संख्या को न्यूनतम करने के लिए अवसंरचना में सुधार लाने और सृजन करने हेतु रोकथाम संबंधी और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।**
- **रेलवे स्टेशनों पर यात्री उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से नियमित घोषणाएँ की जाती हैं, जिसमें यात्रियों से पैदल पार पुल (एफओबी) का उपयोग करने और पटरियों को पार करने से बचने का अनुरोध किया जाता है।**

- अनधिकृत प्रवेश, फुट-बोर्ड, फुट-स्टेप्स, गाड़ी की छत पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती हैं
- रेलवे स्टेशन पर रेल डिस्प्ले नेटवर्क में यात्रियों की जागरूकता के लिए लघु वीडियो भी प्रदर्शित किए जाते हैं।
- रेल यात्रियों को पटरियां पार करने, गाड़ी के फुट-बोर्ड/छत पर यात्रा करने, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने आदि के घातक परिणामों के प्रति संसूचित करने के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।
- अनधिकृत प्रवेश, फुट-बोर्ड, फुट-स्टेप्स, गाड़ी की छत पर यात्रा, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने के विरूद्ध नियमित अभियान चलाए जाते हैं और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर रेल अधिनियम, 1989 के संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।
- यात्रियों को जागरूक बनाने के लिए प्रमुख स्थानों पर चेतावनी संकेत बोर्ड लगाए गए हैं।

******